संख्या-483/2026/2007/22-2-2023-17(556)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 08 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार-**2**, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी गीता देवी पत्नी स्व0 नरेन्द्र कुमार, निवासी जनपद-बरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बंदी गीता देवी पत्नी स्व0 नरेन्द्र कुमार (दिनांक 09.11.2022 तक 39 वर्ष) ग्राम-वकैनिया चम्पतपुर, थाना-फतेहगंज पश्चिम, जनपद-बरेली की रहने वाली है। महिला बन्दी का दीपक से अवैध सम्बन्ध थे, जिसका विरोध उसका पति नरेन्द्र करता था। इसी कारण दिनांक 29.03.2013 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गर्दन काट कर नरेन्द्र कुमार की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 582/2013, धारा-302/34 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं**0-9**, बरेली के दण्डादेश दिनांक 30.07.2018 द्वारा आजीवन कारावास के सजा से दण्डित किया गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 09.11.2022 तक अपरिहार 05 वर्ष, 04 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 05 माह, 24 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा महिला बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, उम्र कम होने के कारण अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, अपराध करने में सशक्त होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार महिला बन्दी की 39 वर्ष की आयु, महिला बन्दी द्वारा दिनांक 09.11.2022 तक अपरिहार 05 वर्ष, 04 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 05 माह, 24 दिन की भोगी गयी सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार-**2**, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी गीता देवी (बन्दी संख्या-697/2018) पत्नी स्व0 नरेन्द्र कुमार, निवासी जनपद-बरेली की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-483/2026/2007(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।

2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-**2,** जिला कारागार**,** बरेली।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।